

21/7  
आदेश से रीडर

12.7.17

पन्नावली वाद के मध्य भागवा  
पर पेश/ वादी के वारेसान ने उपरोक्त  
हाकर बताया गया कि वादी की  
मूल्य वारोफ 5-6 वर्ष हो गए हैं  
और वादी को मूल्य का 9 उस के  
वारेसान के नाम भूमि राजस्व  
रेन्ड में नाम अमलादगमाद वार

रामलाल शर्मा

शिवनारायण शर्मा


रामलाल शर्मा

दिना १५/११/१९ । तादी व मूल्य वी अक्का  
उमाह वी अक्का तापम मुक्काम प्रापवा ५७  
पेश नारता-वाहये पर-तु व्यापम मुक्काम  
प्रापना पत्र पेश लहे । व्यवा १५५/

व्यापम मुक्काम प्रापना पत्र पेश अमप  
अक्का मे नहे करवे से वाद पलने  
अमप नहे ही अता वाद इक्का वी  
विषा आता है ।

अक्का दिनांक १२.७.२०१७ वी  
वाह वक्काम संगला पर चिर्षिप  
अरे आम मुक्काम गपा/

पुत्रावली पेशल गुमारे एक्का  
जम्बर सिवाम छे/

  
सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ~~हमीरगढ़~~ <sup>फारस्ट डेप्यु</sup> ~~भिलवाडा~~  
~~कोटवालय सांगवा~~

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति रेणु मीना आर0ए0एस0

उनवान

श्री गणेशराम पिता परसराम ब्राह्मण निवासी तिलोत्तरी  
खन्नाम वादी

- 1- श्री उदयलाल पिता बंशीलाल ब्राह्मण — " —
- 2 ' सत्वमणी बेवा — " —
- 3 ' श्यामलाल पिता जगदीश — " —
- 4 ' रतनलाल पिता — " —
- 5 श्रीमती सोहनी बेवा — " —
- 6 ' श्री नारायण पिता विशाल लाल — " —
- 7 ' जमनलाल पिता परसराम — " —
- 8 ' लक्ष्मी देवी श्री लखवाडा

प्रतिवादी

दावा बाबत- 53

मुकदमा नम्बर :- 118/09

निर्णय दिनांक :- 12.7.17

वादी की ओर से ~~वादी~~ की व प्रतिवादी की ओर से \_\_\_\_\_ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना ) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वादी की मृत्यु हुए 5-6 वर्ष हो गये हैं  
आज तक वापस मुकाम पत्र पेश नहीं करके  
से पत्रावली श्वारीज की जाती है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़